



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 292]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 19, 2008/श्रावण 28, 1930

No. 292]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 19, 2008/SRAVANA 28, 1930

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

(समन्वय अनुभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 2008

विषय : असंगठित क्षेत्र के उद्यमों के लिए राष्ट्रीय आयोग के कार्यकाल को बढ़ाना ।

सं. 5/2/2004-सीडीएन.—सरकार ने दिनांक 20 सितम्बर, 2004 के संकल्प सं. 5(2)/2004-आईसीसी के तहत असंगठित/अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित किया था । दिनांक 10-2-2005 के संकल्प सं. फा. 5(2)/2004-एसएसआई (सी) के द्वारा आयोग का कार्यकाल एक वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष किया गया था जो दिनांक 20-9-2004 से प्रभावी था । दिनांक 9-5-2005 के संकल्प सं. 5(2)/2004-एसएसआई (सी) के द्वारा "असंगठित/अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए राष्ट्रीय आयोग" नाम को परिवर्तित करके "असंगठित क्षेत्र के उद्यमों के लिए राष्ट्रीय आयोग" किया गया । दिनांक 26 जुलाई, 2007 के संकल्प सं. 5/2/2004-सीडीएन के तहत आयोग का कार्यकाल और एक वर्ष के लिए अर्थात् 30 सितम्बर, 2008 तक बढ़ा दिया गया ।

2. सरकार ने अब आयोग का कार्यकाल 31 मार्च, 2009 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है ।

3. दिनांक 20 सितम्बर, 2004 के संकल्प में उल्लिखित अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी ।

प्रवीर कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

(Coordination Section)

RESOLUTION

New Delhi, the 9th July, 2008

Subject: Extension of the term of the National Commission for Enterprises in the Unorganised Sector—regarding.

No. 5/2/2004-CDN.—The Government constituted a National Commission on Enterprises in the Unorganised/Informal Sector under Resolution No. 5(2)/2004-ICC dated 20th September, 2004. The term of the Commission was extended from one year to three years w.e.f. 20-9-2004 vide Resolution No. F-5(2)/2004-SSI (C) dated 10-2-2005. The name of the Commission was changed from "National Commission on enterprises in the Unorganised/Informal Sector" to "National Commission for Enterprises in the Unorganised Sector" vide Resolution No. 5(2)/2004-SSI (C) dated 9-5-2005. The term of the Commission was extended for further period of one year i.e. up to 30th September, 2008 vide Resolution No. 5/2/2004-CDN dated 26th July, 2007.

2. The Government has now further decided to extend the term of the Commission up to 31st March, 2009.

3. The other terms and conditions indicated in the Resolution dated 20th September, 2004 will remain unchanged.

PRAVIR KUMAR, Jr. Secy.